


## जिलाधिकारी शिविर कार्यालय, कानपुर नगर।

पत्रांक संख्या:- 3635 ओएसडी/कोरोना रोकथाम/2020

दिनांक:- 25-04-20


### आदेश

कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से बचाव एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि जनपद के किसी भी धार्मिक स्थल ( मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि) में पूजा-पाठ/अज्ञान आदि के लिए किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं की जायेगी और न ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जायेगा। उक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
(डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)  
जिलाधिकारी  
कानपुर नगर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।
2. डी०आई०जी०/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित थाना प्राभारियों के माध्यम से उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
5. सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर।
6. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
7. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम मोतीझील कानपुर नगर।
8. नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी, कानपुर नगर।
9. उपनिदेशक सूचना को इस आशय के साथ प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करायें।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर।

  
(डा० ब्रह्मदेव राम तिवारी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कानपुर नगर।